

2026/18

... 15/01/26
29/04/26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

बजरंग सिंह बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण
किस्म मुकदमा इजराय (11) मु.नं. 03 वर्ष 2026

दिनांक	आज्ञा - पत्र
06 ⁰¹ / ₂₆	<p>वकील प्रार्थीगण/डिक्रीदारगण द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 160/2025 बउनवान बजरंग सिंह आदि बनाम जसवंत सिंह आदि में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2025 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 16.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर</p>
16 ⁰¹ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक ⁰⁴/₂₆ को पेश हो।</p>
29 ⁰⁴ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण (डिक्रीदार उप.) प्रकरण इजराय में वर्तित निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्राव. अ. अ. 126/1350 दि. 23 ⁰⁴/₂₆ के द्वारा पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फिलहाल शुमाद होकर बरह तहसीलदार खिल रहता है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

